फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

देवीसहाय बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा—प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0— 86/2024

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 885, 688, 697, 700 वाके रामा ब्राहम्ण बैराडा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम देवीसहाय पुत्र सुमरता के स्थान पर देवीसिंह पुत्र सुमरता दर्ज कर दिया जो कि गलत है जिसे सही किया जावें प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण में अप्रार्थी की तलबी विधिवत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी की ओर से पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में नाम देवीसहाय पुत्र सुमरता दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम देवीसिंह दर्ज है जो कि गलत है जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबदी में प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र सुमरता के स्थान पर देवीसहाय पुत्र सुमरता दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	